न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–05, मथुरा।
विविधि वाद संख्या–221/2025
एवं
विविधि वाद संख्या–222/2025
तथा
विविधि वाद संख्या–223/2025
गोविन्द राम पाण्डेय बनाम नूतन प्रकाश पाण्डेय आदि

दिनांक 04.09.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर पक्षकारगण मय अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थी गोविन्दराम पाण्डेय की ओर से प्रार्थनापत्र 7 ग समर्थित शपथपत्र व प्रार्थी रजत पाण्डेय की ओर से प्रार्थनापत्र 20 ग प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक 26.08.2025 को सुना जा चुका है।

प्रार्थनापत्र 7 ग समर्थित शपथपत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस०एल०पी० संख्या 12579–12580/2025 में आदेश दिनांकित 04.07.2025 पारित कर, मन्दिर ठाकुर श्री दाऊजी महाराज, विराजमान बल्देव, मथुरा, की प्रबन्ध व्यवस्था हेतु इस न्यायालय को आदेशित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांकित 09.05.2025 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.03.2025 को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है। उक्त स्टे आदेश के कारण नयी कमेटी गठन की कार्यवाही भी स्थगित हो गयी है अर्थात मन्दिर के प्रबन्ध संचालन हेतु कोई भी नई कमेटी का गठन न हो पाने के कारण एवं न्यायालय द्वारा अन्य कोई आदेश न होने के कारण मन्दिर के तीनो ठेकों माखन मिश्री कंठीमाला आदि, सब्जी मण्डी एवं गौशला वाहन पार्किग की खुली बोली/ नीलामी वित्तीय वर्ष 2025–26 के वास्ते एवं मन्दिर की अन्य आवश्यक व्यवस्था नही हो पा रही है, उक्त ठेकों की वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु खुली बोली/नीलामी एवं अन्य सभी आवश्यक प्रबन्धकीय कार्य कराया जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थनापत्र 20 ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी द्वारा सेवायत कृष्णकान्त पाण्डेय पुत्र राजकुमार पाण्डेय के साथ सहयोगी रूप में वाहन पार्किग का ठेका लिया गया था। उक्त ठेको को प्रार्थी के हक में उठाये जाने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थनापत्रो पर सुना गया।

विशेष अनुमति याचिका संख्या 12579–12580/2025 गोविन्दराम पाण्डेय एवं अन्य बनाम नूतन प्रकाश पाण्डेय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2025 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गयी है व मन्दिर ठाकुर श्री दाऊजी महाराज, विराजमान बल्देव, मथुरा, के प्रशासन की देखरेख के लिये इस न्यायालय को आदेशित किया गया है।

मामले में यह स्पष्ट होता है कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के, वित्तीय वर्ष के लिये, मन्दिर ठाकुर श्री दाऊजी महाराज, विराजमान बल्देव, मथुरा, का माखन मिश्री कंठीमाला आदि का ठेका, सब्जी मण्डी एवं गौशाला का ठेका व वाहन पार्किंग का ठेका अभी तक अधिकृत तरीके से नही हुआ है, अपितु अनाधिकृत तरीके से उक्त ठेके चल रहे है, जिसमें पार्किंग के ठेके के सम्बन्ध में अत्यन्त विवाद की स्थिति बनी हुई है और उक्त ठेके को लेकर लड़ाई, झगड़ा हो जाने पर थाना बल्देव, जिला मथुरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पंजीकृत है, जिसके सम्बन्ध में थाना बल्देव की ओर से भीप्रार्थनापत्र 21 ग के माध्यम से, न्यायालय को अवगत कराया गया है।

चूँकि वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिये माखन मिश्री कंठीमाला आदि का ठेका, सब्जी मण्डी एवं गौशाला का ठेका व वाहन पार्किंग का ठेका अभी तक अधिकृत तरीके से नही हुआ है। अतः उक्त तीनो ठेको माखन मिश्री कंठीमाला आदि का ठेका, सब्जी मण्डी एवं गौशाला का ठेका व वाहन पार्किंग का ठेका के सम्बन्ध में **एस०डी०एम० महावन, जिला मथुरा** को आदेशित किया जाता है कि माह सितम्बर 2025 से 31 मार्च 2026 तक के माखन मिश्री कंठीमाला आदि का ठेका, सब्जी मण्डी एवं गौशाला का ठेका व वाहन पार्किंग का ठेकों की नीलामी हेतु नोटिस बोर्ड सूचना, मुनादी सूचना एवं दैनिक समाचारपत्रो में समुचित प्रकाशन कराते हुये, खुली बोली/ नीलामी करा कर ठेके नीलामी की

Digitally signed by SWETA VERMA
Date: 2025.09.02 23:23:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नियमानुसार कार्यवाही इस आदेश की दिनांक से अन्दर 15 दिन के अन्दर करना सुनिश्चित करे और अपनी कृत कार्यवाही से न्यायालय को अपनी अनुपालन आख्या सहित अवगत करायें।

इस आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु, **एस०डी०एम० महावन, जिला मथुरा** व एक प्रति **जिलाधिकारी, मथुरा** को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

नोटिस बोर्ड सूचना, मुनादी सूचना, दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशन आदि की पैरवी का व्यय मन्दिर प्रबन्धन वहन करेगा।

पत्रावली अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 22.09.2025 को प्रस्तुत हो।

(श्वेता वर्मा)
(Ms. Sweta Verma)
अपर जिला न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–05, मथुरा।